

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
संख्या :- 15/2022  
पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

लाल सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति राजपूत सा. इन्द्रपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़  
बनाम

1. शिवराज सिंह पुत्र जस्करन सिंह वादी जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
2. प्रीतम सिंह पुत्र बाबु सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
3. जसपाल सिंह पुत्र चन्द सिंह पुत्र बाबु सिंह तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. अजमेर सिंह पुत्र जागीर सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (फौत)
6. प्रकाश सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (फौत)
7. कन्ता पुत्री लाल सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. काकी पुत्री कहर सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
9. खेम सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (लाओलाद फौत)
10. कुलविन्द्र सिंह पुत्र खेम सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (फौत)
11. बलविन्द्र सिंह पुत्र खेम सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
12. गुरविन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
13. चगढ सिंह पुत्र कुण्डा सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
14. सुखविन्द्र सिंह पुत्र चगढ सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (फौत)
15. गुरदास सिंह पुत्र चगढ सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
16. जगराज सिंह पुत्र जागीर सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
17. हरचरण सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (फौत)
18. जसविन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
19. जसवीर कौर पत्नी गुरजंग सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
20. जीत सिंह पुत्र वरयाम सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (फौत)
21. कैवल सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (फौत)
22. देव सिंह पुत्र जगगीर सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
23. बन्ता सिंह पुत्र जगगीर सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
24. कुलविन्द्र सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (फौत)
25. बलदेव सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
26. मुकन्द कौर पत्नी लाल सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
27. हरचरण सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (फौत)
28. राज सिंह पुत्र गुरजंग सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
29. शिरां पुत्री लाल सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
30. शिवराज सिंह पुत्र गुरजंग सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
31. सुखगन्ध सिंह पुत्र गुरजंग सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
32. सुखा सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (फौत)
33. भूपेन्द्र सिंह पुत्र सुखा सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
34. सन्तोख सिंह पुत्र गुरजंग सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
35. हर कौर पत्नी सजान सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (फौत)
36. कुलविन्द्र सिंह पुत्र सजान सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
37. हरचन्द सिंह पुत्र वरियाम सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
38. हरदेव कौर पत्नी नक्षत्र सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (लाओलाद फौत)
39. हरदेव सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया (फौत)
40. राजवहादुर सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया
41. धमेन्द्र सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख सा. सिहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़



दिनांक :- 9.10.2022

महायुक्त कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वारंते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री ..... वकील प्रतिवादी मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 17 एमजेडी

क्र. सं.	नाम काशतकार मय वल्दियत एवं सकूनात	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकवा
1	राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं	लाल सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा	प.नं. 114/173 मु.न. 6 किला नं. 3/1/0.215, 3/2/0.038 मै.मु. रास्ता कुल-0.253 हेक्.
2	बाकी खाता बदस्तूर जमाबन्दी	बाकी खाता बदस्तूर जमाबन्दी	शेष खाता बदस्तूर जमाबन्दी 0.253 हेक्.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3150 दिनांक 31.07.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.10.25 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक जज एव  
उपस्थान्त आधिसर्ग  
संगरिया